न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री रीगा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र संख्याः–03/61/2021ऑन लाईन नम्बर–2021/270 प्रवेश तिथि–03/09/2021

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. भरता पुत्र हणूता।
2. भोला पुत्र बदरी।
3. भौती पत्नी स्व0 देवकरण जातियान मीना निवासीयान ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित– तहसीलदार राजगढ–प्रार्थी

–:निर्णयः–

दिनांक 1.1/11/2025

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 641/0.49 है0 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त विवादीत आराजी का खातेदारी अप्रार्थी कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि है। जिसे अप्रार्थी के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ होटल का निर्माण कर जमीन को खर्दु–बुर्द कर रहे है। जिसका अप्रार्थी को हक नही हे। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के कानूनी प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिसे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को जमीन से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायाचित है। प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के लिए मुखासमत दिनांक 03.09.2021 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने दिनांक 25.05.2021 को प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी से के अवैध रूप से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ होटल निर्माण का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। तहसीलदार राजगढ को पटवारी हल्का से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि बिना सक्षम स्वीकृति के आराजी आराजी खसरा 641/0.49 है वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ पर अवैध व्यावसायिक प्रयोजनार्थ होटल निर्माण कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी के द्वारा कृषि भूमि समपरिवर्तन करने की कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई है। तथा मौके पर यह भूमि अब पुनः कृषि उपयोग में लेने योग्य नही रही है। ना ही कृषि भूमि का स्वरूप बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को को राजस्व हानि हुई है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थी को बेदखल व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी बाद सुचना तामिल उपस्थित नही आने की स्थिति में उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी तहसीलदार राजगढ के द्वारा पटवारी हल्का व गिरदावर के बयान कराये गये जो लेखवद्व कर शामिल मिशल है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

3. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ की सुनी गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की। और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

4. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है। कि खातेदार अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 641/0.49 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ अर्थात कृषि योग्य भूमि का बिना विधिक प्रक्रिया की अनुपालना किये एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किये मौके पर होटल बनाकर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ काम लिया जा रहा है। तहसीलदार राजगढ के प्रार्थना पत्र से इस तथ्य की पुर्ण रूप से पुष्टि होती है। खातेदार द्वारा वाद सूचना तामील के न तो उक्त तथ्य का खण्डन किया है एवं ना ही अपने बचाव में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है। खातेदार द्वारा विवादित आराजी कृषि भूमि पर होटल बनाकर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है। तथा यह खातेदार की खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए बेदखल किए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र भली–भाती साबित होता है। अप्रार्थी खातेदार को विवादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुऐ विवादित आराजी से बेदखल करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत प्रतीत होता है। अतः–

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रार्थी तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खसरा संख्या 641/0.49 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर से अप्रार्थी खातेदार भरता पुत्र हणुता, भोला पुत्र बदरी, भौती पत्नी दवेकरण, शान्ति पत्नी बदरी के खातेदारी के अधिकार विलोपित करते हुए विवादित आराजी को सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने के आदेश किये जाते है। अप्रार्थी भरता पुत्र हणुता, भोला पुत्र बदरी, भौती पत्नी दवेकरण, शान्ति पत्नी बदरी को विवादित आराजी से बेदखल किया जावे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जगा लेख भंडार हो।

यह आदेश आज दिनांक 11/11/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते